प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 18/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Moti Lal Sharma Add: Nathu Lal Sharma, Audhichya Colony, Edana, Sarwar, Salumber

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26/03/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329622844389051 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बेड़वास के खसरा संख्या 3111 के संबंध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6209085534 दिनांक 28.02.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/18/24/252–53 दिनांक 28.02.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ. /2005/2024/719–20 दिनांक 19.03.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील से संबंधित समस्त वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 711 दिनांक 19.03.2024 जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये गये है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब पत्रावली पर लिया जाकर उक्त प्रकरण को निरस्त करने के आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 14.01.2024 को आवेदन प्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उक्त सूचना नियमित समयावधि उपरान्त प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उपलब्ध करवाई गई है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 711 दिनांक 19.03.2024 से प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई वांछित सूचना नियत समयावधि उपरान्त उपलब्ध करवायी गई है अतः प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकार तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निरस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर